



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मुटेशन रिविजन वाद सं०-105/2022-23

महेश प्र० सिंह बनाम् देवकीनंदन सिंह वगैरह

मुटेशन रिविजन वाद सं०-95/2022-23

कैलाश प्र० सिंह बनाम् देवकीनंदन सिंह

—: आदेश :—

दिनांक 10/10/24

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील की सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया महेश प्र० सिंह, पे०-स्व० केशव प्र० सिंह उर्फ केशो सिंह, सा०-दरियापुर, थाना-बलबड्डा, जिला-गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं०-03/18-19 (देवकीनंदन सिंह बनाम् महेश प्र० सिंह वगैरह) के आदेश दिनांक-27.09.2022 के विरुद्ध रिविजन वाद दायर किया है एवं रिविजनकर्ता कैलाश प्र० सिंह, पे०-स्व० बर्दी नारायण सिंह, सा०-दरियापुर, थाना-बलबड्डा, जिला-गोड्डा ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं०-01/18-19 (देवकीनंदन सिंह बनाम् कैलाश प्र० सिंह वगैरह) के आदेश दिनांक-15.10.2022 के विरुद्ध रिविजन वाद दायर किया है। चूँकि दोनों रिविजन वाद में मौजा-दरियापुर नं०-349 के जमाबंदी सं०-05 एवं 11 तथा मौजा-घौरीकिता मसुदनपुर नं०-347 के जमाबंदी सं०-10 एवं 34 के अन्तर्गत की जमीन निहित है। इसलिए दोनों रिविजन वाद को एक साथ सम्बद्ध किया गया है।

रिविजनकर्ता महेश प्र० सिंह के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-दरियापुर के जमाबंदी सं०-05 एवं 11 तथा मौजा-घौरीकिता मसुदनपुर के जमाबंदी सं०-10 एवं 34 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में केशो सिंह वो हरि सिंह वो बर्दी सिंह, पे०-दुर्गा सिंह वो देवनारायण सिंह, पे०-दारोगी सिंह एवं जमाबंदी सं०-61 की जमीन केशो उर्फ केशव प्र० सिंह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत हरि सिंह की मृत्यु नावल्द हो गयी है। हरि सिंह की नावल्द मृत्यु होने के कारण उनके हक एवं हिस्से की जमीन उनके भाई जमाबंदी रैयत केशो सिंह एवं बर्दी सिंह को हस्तान्तरित हुआ। जमाबंदी रैयत केशो सिंह एवं बर्दी सिंह ने अपनी जमीन को आपस में बँटवारा कर लिया एवं उसी के अनुसार अपने-अपने हिस्से की जमीन पर

दखलकार हुए। जमाबंदी रैयत केशो सिंह उर्फ केशव प्र० सिंह अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः देवकीनंदन सिंह वो रामानंद सिंह वो महेश प्र० सिंह को छोड़कर फौत कर गये। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे लोग अपने पिता की जमीन पर दखलकार हुए एवं अपने स्व० पिता के हिस्से की जमीन को दिनांक-22.09.1977 को आपसी सहमति से बँटवारा कर लिया तथा गाँव वालों की उपस्थिति में पंचनामा भी तैयार किया गया और उस पंचनामा में सभी का हस्ताक्षर है। बँटवारा के अनुसार रिविजनकर्ता अपने हिस्से की जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार हुए। रिविजनकर्ता ने पंचनामा बँटवारा से प्राप्त अपने हिस्से की जमीन का अंचल अधिकारी, मेहरमा के नामांतरण वाद सं०-35/2006 के द्वारा नामांतरण कराया गया एवं शांतिपूर्ण ढंग से मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उनका आगे कथन है कि उक्त नामान्तरण के विरुद्ध उत्तरवादी सं०-01 देवकीनंदन सिंह के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा ने पारिवारिक आपसी बँटवारा जो ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया था एवं उक्त पंचनामा में सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर है, पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर नामांतरण आदेश को निरस्त किया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

रिविजनकर्ता कैलाश प्र० सिंह के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-दरियापुर के जमाबंदी सं०-05 एवं 11 वो मौजा-घोरीकिता मसुदनपुर के जमाबंदी सं०-10 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में केशो सिंह वो हरि सिंह वो बद्री सिंह, पे०-दुर्गा सिंह वो देव नारायण सिंह, पे०-दारोगी सिंह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत हरि सिंह की मृत्यु नावलद हो गयी है। इसलिए उनके हिस्से एवं दखल की जमीन जमाबंदी रैयत केशो सिंह एवं बद्री सिंह को हस्तान्तरित हुआ एवं वे दोनों अपने जीवन काल तक उक्त जमीन पर दखलकार रहे। रिविजनकर्ता कैलाश प्र० सिंह जमाबंदी रैयत बद्री सिंह के पुत्र है। जमाबंदी बद्री सिंह को तीन पुत्र क्रमशः कैलाश प्र० सिंह, विजय सिंह एवं जयकांत सिंह हुए। जमाबंदी रैयत बद्री सिंह की मृत्यु के बाद उनके दखल की जमीन पर उनके तीनों पुत्र उस पर दखलकार हुए एवं बाद में तीनों ने जमीन का आपसी पारिवारिक बँटवारा

कर लिया एवं उसी के अनुसार उस पर दखलकार हुए। उक्त पारिवारिक बँटवारा ग्रामीणों की उपस्थिति में की गयी है एवं उसके आधार पर पंचनामा भी तैयार किया गया तथा पंचनामा पर सभी पक्ष का हस्ताक्षर है। बँटवारा से प्राप्त अपने हिस्से की जमीन का नामांतरण के लिए रिविजनकर्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, मेहरमा ने आवेदन के आधार पर नामांतरण वाद सं०-36/2006 संधारित कर आवश्यक जाँचकर रिविजनकर्ता के नाम से नामांतरण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध उत्तरवादी सं०-01 देवकीनंदन सिंह की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत केशो सिंह एवं जमाबंदी रैयत बट्टी सिंह ने उक्त जमाबंदी की जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया था एवं बँटवारा पंचनामा में सभी पक्ष का हस्ताक्षर है एवं अपने-अपने हिस्से की जमीन पर वे लोग दखलकार है एवं रिविजनकर्ता ने अपने हिस्से एवं हक वाली जमीन का नामांतरण कराया है। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा ने उक्त पंचनामा पर बिना विचार किये ही आदेश पारित कर नामांतरण आदेश को रद्द किया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा का पारित आदेश नियम के विपरीत है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, मेहरमा ने नामांतरण अभिलेख खोलने के बाद अगली तिथि दिनांक -20.05.2006 को निर्धारित की गयी। इसके बाद दिनांक-28.05.2006 को तिथि निर्धारित की गयी एवं उक्त तिथि को बिना वैध बँटवारा कागजात के आधार पर रिविजनकर्ता के नाम से अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। उक्त नामांतरण के पूर्व मौजा के सौलह आना रैयतों को निर्गत नोटिश में भी उत्तरवादी का हस्ताक्षर नहीं कराया गया और न ही अंचल अधिकारी, मेहरमा ने रिविजन वादगत जमीन के जमाबंदी रैयतों के वंशजों को नोटिश दिया है। इस प्रकार सह हिस्सेदारों को प्रस्तावित नामांतरण पर आपत्ति करने का कोई अवसर दिये बिना ही अंचल अधिकारी, मेहरमा ने मात्र 17 दिनों के अल्प अवधि में नामांतरण आदेश पारित किया था, जिसके विरुद्ध उत्तरवादी की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। भूमि

सुधार उप समाहर्ता, महागामा के द्वारा पाया गया कि अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा स्वीकृत नामांतरण आदेश पूरी तरह से अवैध एवं नियम विरुद्ध था। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा ने अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया गया है। उनका आगे कथन है कि चूँकि भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा ने नियम संगत आदेश पारित किया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्ता के रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

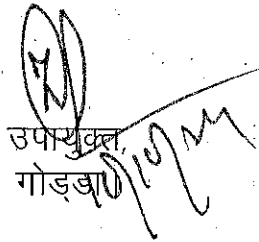
विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए रिविजनकर्ता का रिविजन आवेदन स्वीकृत करने योग्य नहीं है।

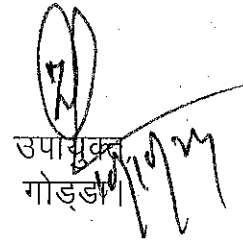
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील के बहस सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, मेहरमा के दाखिल खारिज वाद सं०-35/2006 एवं दाखिल खारिज वाद सं०-36/2006 में निहित जमीन मौजा-दरियापुर नं०-349 के अन्तर्गत जमाबंदी सं०-5 एवं 11 तथा मौजा-घौरीकित्ता नं०-347 के जमाबंदी सं०-10, 34 एवं 61 से संबंधित है। दाखिल खारिज वाद सं०-35/2006 के द्वारा मौजा-दरियापुर के जमाबंदी सं०-05, दाग नं०-59 रकवा 00-05-00 धुर, दाग नं०-79 रकवा 00-01-10 धुर, दाग नं०-242 रकवा 01-02-12 धुर, कुल रकवा 01-09-02 धुर एवं जमाबंदी सं०-11, दाग नं०-40 रकवा 01-01-11 धुर, दाग नं०-58 रकवा 00-09-00 धुर, कुल रकवा 01-10-11 धुर एवं मौजा-घौरीकित्ता मसुदनपुर नं०-347, जमाबंदी सं०-10, दाग नं०-379 रकवा 02-06-07 धुर, जमाबंदी सं०-34, दाग नं०-353 रकवा 02-03-00 धुर, जमाबंदी सं०-61, दाग नं०-373 रकवा 00-07-13 धुर जमीन रिविजनकर्ता महेश प्र० सिंह के नाम दाखिल खारिज किया गया है एवं दाखिल खारिज वाद सं०-36/2006 के द्वारा मौजा- दरियापुर के जमाबंदी सं०-05 के दाग नं०-39 रकवा 00-07-08 धुर, दाग नं०-59 रकवा 00-05-10 धुर, दाग नं०-80 रकवा 00-03-00 धुर, दाग नं०-220 रकवा 00-12-03 धुर, दाग नं०-242 रकवा 01-02-12 धुर, कुल रकवा 02-10-13 धुर एवं जमाबंदी सं०-11, दाग नं०-40 रकवा 01-03-07 धुर, दाग नं०-54 रकवा 00-12-13 धुर, दाग नं०-58 रकवा 00-04-04 धुर, कुल रकवा 02-00-04 धुर जमीन

रिविजनकर्ता कैलाश प्र० सिंह के नाम से दाखिल खारिज किया गया है, जिसके विरुद्ध मुटेशन अपील वाद सं०-3/2018-19 एवं मुटेशन अपील वाद सं०-1/2018-19 दायर किया गया था, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा का निष्कर्ष है कि बिना वैध बँटवारा कागजात के ही नामांतरण किया गया एवं साथ ही नामांतरण वाद में सौलह आना रैयतों को निर्गत नोटिस में अपीलकर्ता का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पक्षकारों को जानकारी दिये बिना ही नामांतरण किया गया है। वर्तमान रिविजन वाद में भी रिविजनकर्ता की ओर से बँटवारा से संबंधित वैध दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं०-03/2018-19 में दिनांक-23.12.2022 एवं मुटेशन अपील वाद सं०-01/2018-19 में दिनांक-23.12.2022 के आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्ता के रिविजन आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा

Seen
23/12/22